राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क्र:–4(1)राज–6/2002/19 जयपुर,दिनांक:– 18.6.2007

परिपत्र

विषयः–राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम सम्मानसूचक न होने के कारण संशोधन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दि0 26.12.95 , 1.11.96 व आदेश दिनांक 30.4.03 के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी किये गये थे कि राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जातिनाम गलत होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करके उनको दुरूस्त करावें।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि राजस्व रिकार्ड में काश्तकारों के नाम भी यथा पाबूड़ा वल्द रामूड़ा, घीस्या पुत्र भैरिया, खारिया वल्द बेरिया आदि अकिंत है जो कि सम्मान सूचक नहीं है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि काश्तकारों के नामों में संशोधन कर इन्हे सम्मान सूचक अंकित किया जावें।

अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार ऐसे काश्तकार जिनका राजस्व अभिलेख में नाम सम्मानसूचक नहीं है के लिखित प्रार्थना–पत्र देने तथा अन्य सह खातेदारों, यदि कोई हो तो, की सहमति पर सबंधित तहसीलदार द्वारा ही दुरूस्ती कर दी जावेगी परन्तु सहमति न होने पर सबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 के अर्न्तगत उक्त अभिलेख में नाम सबंधी त्रुटियों की दुरूस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

18/6/07
(के0जी0अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
2.समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
3.निबंधक, राजस्व मंडल,अजमेर।
4.वि0 सहायक,मा0 राजस्व मंत्री महोदय।

18/6/07
शासन उप सचिव